DC Gcms No. 2022/233

सेवा में,

श्रीमान सम्भागीय आयुक्त महोदय,
जोधपुर

रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 06 / 2022

प्रार्थी–
दिलदार खान पुत्र श्री मकबुल खान
वरिष्ठ सहायक हाल
रोकडपाल / भंडारपाल
कार्यालय जिला कलक्टर जालोर

अप्रार्थी–
जिला कलेक्टर जालोर

प्रार्थी के प्रकरण में सीसीए नियम 1958 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा पारित आदेश 08.07.2022 के विरूद्व श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत विभागीय अपील संख्या 12 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2022 को रिव्यू करने बाबत्।

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधार पर प्रस्तुत है :–

1. निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा श्रीमान के समक्ष विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 के तहत जिला कलेक्टर जालोर के आदेश क्रमांकः वि.का / स्था. / 2022 / 4577 दिनांक 08.07.2022 द्वारा परिनिन्दा के दंड से दंडित किए जाने से विमुक्त करने हेतु प्रस्तुत की गई थी। जो अपील संख्या 12 / 2022 दर्ज होकर दिनांक 07.11.2022 को निर्णित की गई। निर्णय अनुसार जिला कलेक्टर जालोर का आदेश यथावत रखते हुए उक्त अपील खारीज की गई ।
2. जिला कलक्टर जालोर द्वारा प्रार्थी के विरूद्व लगाए गए आरोप के संदर्भ में मेरा निवेदन है कि मैं दिनांक 21.05.2022 राजकीय अवकाश के दिन मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि आहरित करने हेतु मुझे मोबाईल पर कार्यायल के कार्मिक द्वारा सूचित किया गया। उस दिन मेरे पास अन्य मोबाईल होने से अवगत नहीं हो सका व उक्त राशि का आहरण कार्यालय के अन्य कार्मिक द्वारा उसी दिन किया जाकर कार्य संपन्न कर दिया गया।
3. उक्त तथ्यों की जानकारी मेरे द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर जालोर के समक्ष ज्ञापन के जवाब में व आपके समक्ष अपील में व व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रकट कर दी गई थी। जिसके उपरांत भी मुझे परिनिंदा दंड से मुक्त नहीं किया गया है।
4. अतः श्रीमान के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सादर अनुरोध है कि मै भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नहीं करूंगा कार्यालय में दिए गए मोबाईल नंबर पर उपलब्ध रहूंगा व उच्च अधिकारीयों के आदेशों की निष्ठा पूर्वक पालना करूंगा । इस आश्वासन के साथ श्रीमान द्वारा उक्त अपील प्रकरण में दिए गए निर्णय को रिव्यू करते हुए मुझे दोष मुक्त करवाने की कृपा करावें।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

दिनांक : 28-11-22